न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

104

प्र.क्र. निग. 426/III/07 III/विविध/रीवा/भू.रा./2017/3749

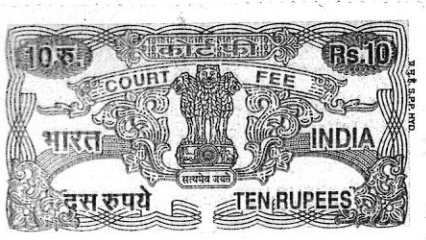

श्रीमती जोहरा बेगम पति स्व. अजमत खां निवासी - ग्राम नईगढ़ी थाना नईगढ़ी त. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

आवेदक गण

विरुद्ध

फकीर मुल्ला एवं तनय निजामुद्दीन निवासी ग्राम चकरीया टोला त. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

अनावेदक गण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-152 सी.पी.सी. (आदेश संशोधन) संशोधित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

आई पी त्रिवेदी अभि०
7-10-17 को
7-10-17
पेशी दिनांक 13-10-17
Not

माननीय महोदय

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि

1 यह कि प्रार्थीगण जो (अनावेदक द्वारा) माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसका प्र.क्र. R426/III/07 था

2- यह कि उपर्युक्त प्रकरण की पहलि दिनांक 28/3/17 को हुई थी एवं दिनांक 22/9/17 को आदेशित किया गया। आदेश के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि निगरानी निरस्त की गई है जो अवलोकन से स्पष्ट लगता हुआ प्रतीत होता है।

3- यह की पृष्ठ 3 मे (5) वे अंक मे जो विवेचना है वह

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/विविध/रीवा/भू.रा./2017/3749

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
24 –10–17	आवेदक अधिवक्ता श्री आई0 पी0 द्विवेदी उपस्थित होकर आवेदन अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. एवं अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण कमांक 426–तीन/2007 में पारित आदेश दिनांक 22.9.17 के पृष्ठ कमांक–3 के पैरा 5 की दूसरी लाईन में निरस्त के स्थान पर स्थिर शब्द होना था, लेकिन त्रुटिवश निरस्त शब्द टंकण हो गया है। अनुरोध है कि निरस्त के स्थान पर स्थिर शब्द किया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक 426–तीन/2007 में पारित आदेश दिनांक 22.9.17 के पृष्ठ कमांक–3 के पैरा 5 की दूसरी लाईन में निरस्त के स्थान पर स्थिर शब्द पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	